भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1400
दिनांक 11 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एएमआर के लिए समर्पित योजना की शुरूआत

1400 **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) नियंत्रण के लिए एक समर्पित केंद्रीय योजना शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें निगरानी, स्वास्थ्य सेवा प्रशिक्षण और नए एंटीबायोटिक दवाओं पर अनुसंधान के लिए एक विशिष्ट बजट आवंटन होगा;
(ख) यदि नहीं, तो एएमआर द्वारा उत्पन्न बढ़ते सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के बावजूद ऐसी योजना की अनुपस्थिति के क्या कारण हैं;
(ग) एएमआर से निपटने के लिए संबंधित मंत्रालयों के बीच प्रभावी अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार एएमआर पर एक समर्पित अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स स्थापित करने की योजना बना रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए स्वच्छ एंटीबायोटिक उत्पादन मानकों को अपनाने के लिए दवा कंपनियों के लिए नीतियां या प्रोत्साहन शुरू किए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जीवाणु रोग एवं औषधि प्रतिरोध तथा रोगाणुरोधी प्रतिरोध नियंत्रण केंद्र, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के माध्यम से राष्ट्रीय एएमआर नियंत्रण कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर के प्रतिनिधि मेडिकल कॉलेजों को एएमआर निगरानी, रोगाणुरोधी उपभोग (एएमसी) निगरानी और संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण (आईपीसी) के लिए मजबूत किया जा रहा है। राज्य एएमआर निगरानी नेटवर्क स्थापित करने के लिए राज्यों के अन्य मेडिकल कॉलेजों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) और (घ): एएमआर संबंधी नीतिगत निर्णयों की देखरेख और समन्वय के लिए एक अंतर-क्षेत्रीय समन्वय समिति गठित की गई है। इसका विवरण निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है;
https://ncdc.mohfw.gov.in/wp- content/uploads/2024/03/22411472661632383405.pdf

(ङ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए अपशिष्ट और उत्सर्जन निर्वहन मानकों को अधिसूचित किया है।

*****